[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 63/2020 - सीमाशुल्क (गै.टै.)

नयी दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई, 2020

सा.का.नि. _____(अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये,केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा,भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 92/2017- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 28 सितंबर, 2017 में, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,सारणी के पश्चात पैराग्राफ 1 में, निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"बशर्ते कि आयुक्त, सीमाशुल्क (अपील), बेंगलुरु के पास,उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या 7 के समक्ष कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारियों के क्षेत्राधिकार वाले सीमाशुल्क स्टेशनों में आयातित माल के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 46 की उप- धारा (1) के अंतर्गत घरेलू खपत के लिए या धारा 68 के अंतर्गत वेयरहाउसिंग के लिए दी गयी बिल ऑफ एंट्री के संबंध में और उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (5) और धारा 18 के उद्देश्य से उनको कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रोनिक तरीके से प्रस्तुत किए गए बिल ऑफ एंट्री के मामले में, उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या 1, 5 और 6 के समक्ष कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारियों के अधीनस्थअधिकारियों के द्वारा दिये गए किसी भी आदेश या निर्णय पर अधिकार क्षेत्र होगा :

बशर्ते और भी कि आयुक्त, सीमाशुल्क (अपील-I), चेन्नई और आयुक्त, सीमाशुल्क (अपील-II), चेन्नई के पास, उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या 7 के समक्ष कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारियों के क्षेत्राधिकार वाले सीमाशुल्क स्टेशनों में आयातित माल के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 46 की उप- धारा (1) के अंतर्गत घरेलू खपत के लिए या धारा 68 के अंतर्गत वेयरहाउसिंग के लिए दी गयी बिल ऑफ एंट्री के संबंध में और उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (5) और धारा 18 के

उद्देश्य से उनको कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रोनिक तरीके से प्रस्तुत किए गए बिल ऑफ एंट्री के मामले में, उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या 5 के समक्ष कॉलम (3) और क्रम संख्या 6 के समक्ष उल्लिखित अधिकारियों के अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा दिये गए किसी भी आदेश या निर्णय पर अधिकार क्षेत्र होगा :

"बशर्ते कि आयुक्त, सीमाशुल्क (अपील), दिल्ली के पास,उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या 1 के समक्ष कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारियों के क्षेत्राधिकार वाले सीमाशुल्क स्टेशनों में आयातित माल के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 46 की उप- धारा (1) के अंतर्गत घरेलू खपत के लिए या धारा 68 के अंतर्गत वेयरहाउसिंग के लिए दी गयी बिल ऑफ एंट्री के संबंध में और उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (5) और धारा 18 के उद्देश्य से उनको कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रोनिक तरीके से प्रस्तुत किए गए बिल ऑफ एंट्री के मामले में, उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या 5, 6 और 7 के समक्ष कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारियों के अधीनस्थअधिकारियों के द्वारा दिये गए किसी भी आदेश या निर्णय पर अधिकार क्षेत्र होगा :

बशर्ते और भी कि आयुक्त, सीमाशुल्क (अपील), मुंबई-I के पास, उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या 2 के समक्ष कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारियों के क्षेत्राधिकार वाले सीमाशुल्क स्टेशनों में आयातित माल के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 46 की उप- धारा (1) के अंतर्गत घरेलू खपत के लिए या धारा 68 के अंतर्गत वेयरहाउसिंग के लिए दी गयी बिल ऑफ एंट्री के संबंध में और उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (5) और धारा 18 के उद्देश्य से उनको कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रोनिक तरीके से प्रस्तुत किए गए बिल ऑफ एंट्री के मामले में, उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या 3 और 4 के समक्ष कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारियों के अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा दिये गए किसी भी आदेश या निर्णय पर अधिकार क्षेत्र होगा :

बशर्ते और भी कि आयुक्त, सीमाशुल्क (अपील), मुंबई-II के पास, उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या 3 के समक्ष कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारियों के क्षेत्राधिकार वाले सीमाशुल्क स्टेशनों में आयातित माल के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 46 की उप- धारा (1) के अंतर्गत घरेलू खपत के लिए या धारा 68 के अंतर्गत वेयरहाउसिंग के लिए दी गयी बिल ऑफ एंट्री के संबंध में और उक्त अधिनियम

की धारा 17 की उप-धारा (5) और धारा 18 के उद्देश्य से उनको कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रोनिक तरीके से प्रस्तुत किए गए बिल ऑफ एंट्री के मामले में, उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या 2 और 4 के समक्ष कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारियों के अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा दिये गए किसी भी आदेश या निर्णय पर अधिकार क्षेत्र होगा :

बशर्ते और भी कि आयुक्त, सीमाशुल्क (अपील), मुंबई-III के पास, उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या 4 के समक्ष कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारियों के क्षेत्राधिकार वाले सीमाशुल्क स्टेशनों में आयातित माल के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 46 की उप- धारा (1) के अंतर्गत घरेलू खपत के लिए या धारा 68 के अंतर्गत वेयरहाउसिंग के लिए दी गयी बिल ऑफ एंट्री के संबंध में और उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (5) और धारा 18 के उद्देश्य से उनको कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रोनिक तरीके से प्रस्तुत किए गए बिल ऑफ एंट्री के मामले में, उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या 2 और 3 के समक्ष कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारियों के अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा दिये गए किसी भी आदेश या निर्णय पर अधिकार क्षेत्र होगा।"

[फा. स. 437/48/2014- सीमाशुल्क IV]

आर. आनंद

(आनंद राधाकृष्णन)
उप सचिव (सीमाशुल्क)

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 92/2017- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 28 सितंबर, 2017 सा. का. नि. 1210 (अ), दिनांक 28 सितंबर, 2017 को भारत के राजपत्र,असाधारण, में प्रकाशित की गयी और इसमे अंतिम बार अधिसूचना संख्या 51/2020- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 5 जून, 2020 सा. का. नि. 353 (अ), दिनांक दिनांक 5 जून, 2020 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।